सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करते हैं जिससे कोई व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यष्टि को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत होगी।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव,
आबकारी एवं कराधान।

[*Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated 23-06-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 18/2020-State Tax

Shimla-2, the 23rd June, 2020

No. EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6B) of section 25 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the date of coming into force of this notification as the date, from which an individual shall undergo authentication, of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said individual, he shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 19/2020–राज्य कर

शिमला–2, 23 जून, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.–एफ.(10)–4/2020.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करते हैं जिससे–